



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2010/श्रावण 25, 1932

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2010/SHRAVANA 25, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 579(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना -- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "श्रेणी" से काडर की श्रेणी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः उनका है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में उनके हैं।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान -- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ;

6. ज्येष्ठता -- (1) उच्चतर रैंक धारण करने वाले सभी अधिकारी, निम्नतर रैंक धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) किसी विशिष्ट रैंक में किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, उस पद पर नियुक्ति के लिए बयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थायी आदेश सं० 1/2009 तारीख 12 जनवरी, 2009 में अवधारित किए गए अनुसार होगी।

(i) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कौटा) की ज्येष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से, उस बैच का, जिसमें उनका चयन किया गया है, ध्यान किए बिना, उनके प्रशिक्षण बैच के प्रति निर्देश से की जाएगी और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति की तारीख से

साधारणतः प्रशिक्षण के आरंभ की तारीख अभिप्रेत है, जब तक अभ्यर्थी ने विलंब से, परंतु प्रशिक्षण आरंभ होने के तीस दिन के भीतर, रिपोर्ट नहीं की है।

(ii) प्रशिक्षण के बैच के भीतर चाहे सीधे नियुक्त किए गए या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हो, परस्पर ज्येष्ठता, "केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955" के नियम 8 के उप नियम (ख) के खंड (ii) के अनुसार, मेरिट के आधार पर अवधारित की जाएगी और मेरिट से, चयन के समय प्राप्त किए गए अंकों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी में अंतिम परीक्षा (पासिंग आऊट) में प्राप्त किए गए अंकों का योग अभिप्रेत है :

परंतु सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों की ज्येष्ठता की गणना परिणामों के घोषणा की तारीख से और स्थानीय प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति की, जिनसे उनको पैनलीकृत किया गया था, तारीख से की जाएगी।

(iii) किसी विशिष्ट रैंक में पुनर्नियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता उस रैंक में उनके पुनर्नियोजन की तारीख से अवधारित की जाएगी।

(iv) कोई सेवारत सैनिक अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और अन्य सैनिक अधिकारियों के बीच तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और भारतीय पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों के बीच अपनी ज्येष्ठता बनाए रखेगा।

7. नियुक्ति -- केवल ऐसे अधिकारियों पर, जिन्होंने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उस श्रेणी या श्रेणियों में नियुक्ति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए तभी विचार किया जाएगा जब वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महा-निदेशालय द्वारा जारी 2008 के स्थायी आदेश सं० 04 तारीख 15 दिसंबर, 2008 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी, शेष-1 में हों।

8. सेवा करने का दायित्व -- इन नियमों के अधीन पदों के किसी प्रवर्ग पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए चायी होगा।

9. सेवा की अन्य शर्तें -- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955, उन व्यक्तियों के संबंध में, जो इन भर्ती नियमों के अधीन नियुक्त किए गए हैं, सेवा की उन शर्तों के संबंध में लागू होंगे, जिनके बारे में इन भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से उपबंध नहीं किए गए हैं।

10. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

11. अन्य देशीय पात्रता -- कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित सहमति से ही उन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस नियम की कोई बात, नेपाल, सिक्किम या भूटान की प्रजा की इन नियमों के अधीन नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

12. अधिवर्षिता - (1) उप महानिरीक्षक के पद से ऊपर की पंक्ति का पद धारण किए हुए और उच्चतर अधिकारी, महीने के उस दिन अपराह्न में, जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, सेवानिवृत्त होगा और अन्य अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे :

परन्तु यह कि कोई अधिकारी, जिसकी जन्म तिथि मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

13. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

14. व्यापृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महा-निदेशक	1* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	शीर्ष वेतनमान 80,000/- रुपए (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(12)

प्रतिनियुक्ति :- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 80,000/- रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में केंद्र में महानिदेशक पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किस संस्था/संस्थानों से राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. विशेष महानिदेशक	3* (तीन) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	एच.ए.जी. + वेतनमान : 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति :- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में विशेष महानिदेशक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अपर महानिदेशक	4* (चार) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसंधिवीय	एच.ए.जी. (+ वेतनमान : 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए	घयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 66.2/3% भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा । ii) 33.1/3% केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से प्रोन्नति द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति द्वारा : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रुपए में) के रैंक के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में तीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें से तीन वर्ष की सेवा महानिरीक्षक के रैंक में होनी चाहिए ।

टिप्पण :

(1) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

(2) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :-- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में अपर महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं ।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्शिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्शिक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. सचिव, गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. सचिव (कार्मिक), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	— सदस्य
3. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य
4. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
5. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. महा-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	27* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रूपए के साथ	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 50% केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैडर से प्रोन्नति द्वारा। ii) 50% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

- (1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे उप महानिरीक्षकों में से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रूपए में), जिन्होंने समूह 'क' में चौबीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें उप महानिरीक्षक के रूप में तीन वर्ष की सेवा सम्मिलित है।
- (2) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (3) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रूपए के साथ में केंद्र में महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियुक्त वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|---|------------|
| 1. सचिव, गृह मंत्रालय | -- अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल | -- सदस्य |
| 3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) | -- सदस्य |
| 4. विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय | -- सदस्य |

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप महा-निरीक्षक (साधारण ज्यूटी)	161* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8900 रूपए	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 80% कैंडर अधिकारियों (कमांडेंट) की प्रोन्नति द्वारा। (ii) 18% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा। (iii) 2% सेवारत सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों की पुनर्नियोजन द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे कमांडेंट से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8700 रूपए में), जिन्होंने समूह 'क' में बीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें कम से कम तीन वर्ष की सेवा कमांडेंट के रैंक में हो।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की कमान।

(ग) सहानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केंद्र या राज्य सरकार पुलिस बल या संगठन में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रूपए के साथ, पुलिस उप महानिदेशक या समतुल्य का पद धारण किए हुए है या उस रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित है और ब्रिगेडियर के रैंक में सेवारत सेना अधिकारी ।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियुक्ति वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

पुनर्नियोजन द्वारा :

ब्रिगेडियर के रैंक में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा ।

टिप्पण :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सेना अधिकारियों के लिए साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित पदावधि नियमों के अनुसार पांच वर्ष होगी । केंद्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों के संदर्भ में पुनर्नियोजन के मामले में, अधिवर्षिता की आयु तक ।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. सचिव/ विशेष सचिव (आई.एस.पी.), गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य
4. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
5. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय का एक नामनिर्देशित	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
८. कमांडेंट (सावधान उत्प्रेषण)	281* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसंधितीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, घन 8700 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा। <u>टिप्पण :</u> केंद्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(12)
<p><u>प्रोन्नति द्वारा :</u></p> <p>(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सैकेंड-इन-कमांड, जिसने समूह 'क' में सोलह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा सैकेंड-इन-कमांड (वेतन बैंड 3 : 15600-39100, ग्रेड वेतन 7600 रूपए के साथ में) के रैंक में हो।</p> <p>(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उद्युति बटालियन में सैकेंड-इन-कमांड के रूप में दो वर्ष की सेवा।</p> <p>(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।</p> <p>(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्ीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— सेना से कर्नल रैंक के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारी या अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले राज्य पुलिस अधिकारी, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्ीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्ीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

रक्षा सेवाओं से कर्नल रैंक में सेवानिवृत्त या निर्मुक्त होने वाले अधिकारियों या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारियों या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों या राज्य पुलिस अधिकारियों, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, के पुनर्नियोजन द्वारा।

टिप्पण :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है/अधिवर्षिता की आयु तक, प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सैंक्रेड-इन-कमांड (साधारण ड्यूटी)	273* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 7600 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 6600 रूपए ग्रेड वेतन में ऐसा उप कमांडेंट, जिसने समूह 'क' में ग्यारह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा उप कमांडेंट के रैंक में हो।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ड्यूटी बटालियन में उप कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिदीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और कि ऐसे उप कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, या जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्संशुद्ध वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	-- सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- सदस्य
4. निदेशक (कार्मिक), गृह मंत्रालय	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप कमांडेंट (साधारण ड्यूटी)	922* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, धन 6600 रुपए ग्रेड वेतन	घयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा। <u>टिप्पण :</u> केंद्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवारत या सेवानिवृत्त) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(12)
<p><u>प्रोन्नति द्वारा :</u></p> <p>(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सहायक कमांडेंट, जिसने वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रुपए ग्रेड वेतन के साथ में सहायक कमांडेंट के रूप में छह वर्ष की सेवा की है।</p> <p>(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ड्यूटी बटालियन में सर्विस कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष की सेवा।</p> <p>(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर बिहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।</p> <p>(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और कि ऐसे सहायक कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।</p>

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- सेना से मेजर रैंक के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस रूप में पांच वर्ष सेवा की है या अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य या सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले राज्य पुलिस अधिकारी, नेशनल कैडेट कोर की सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, जो वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रूपए ग्रेड वेतन से अन्वून का पद धारण किए हुए हैं या होम गार्ड्स और सिविल रक्षा संगठन में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रूपए ग्रेड वेतन के साथ में पद धारण किए हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियुक्ति वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

ऐसे सेवानिवृत्त या निर्मुक्त सेना अधिकारियों के, जो समतुल्य रैंक या प्रादेशिक सेना के अधिष्ठायी मेजर या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) या उस रूप में चार वर्ष की सेवा या अर्द्धसैनिक बलों के ऐसे अधिकारियों, जो पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, के पुनर्नियोजन द्वारा।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. सहायक कमांडेंट (साधारण ऊपरी)	2170* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)
(i) 20 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।)
(ii) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यह होगी, जो सहायक कमांडेंट (केन्द्रीय पुलिस बल) परीक्षा के नियमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपबंधित की जाए।

(8)		
(i) आवश्यक :		
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य।		
(ख) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड :		
	पुरुष	स्त्री
ऊँचाई	165 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर
सीना	81 सेंटीमीटर (बिना फुलए) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर)	लागू नहीं होता
भार	50 किलोग्राम	ऊँचाई के अनुसार परंतु 46 किलोग्राम से कम नहीं हो।

(2) दृष्टि (चश्मे सहित या रहित) :-			
दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
अक्षी आंख	खराब आंख	अक्षी आंख	खराब आंख
(सही दृष्टि)		(सही दृष्टि)	
6/6	6/12	जे. 1	जे. 2
या		या	
6/9	6/9		

अभ्यर्थी के पैर अंतर्ज्ञानु या सपाट या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगदृष्टि के लिए, इशाहरा परीक्षण के साथ एडरीच-ग्रीन लेनटेन परीक्षण से परीक्षण किया जाएगा। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

(ii) वांछनीय :
एन0सी0सी0 (नेशनल क्रेडेंट कोर) "बी" प्रमाणपत्र या "सी" प्रमाणपत्रधारक होना चाहिए।

(iii) परीक्षा आदि की योजना वह होगी, जो सहायक कमांडेंट (केंद्रीय पुलिस बल) परीक्षा के नियमों में केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपबंधित की जाए।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 50% संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 33% प्रोन्नति द्वारा। (iii) 17% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में कोई कमी प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) ऐसे सुबेदार मेजर/निरीक्षक, जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और ज्येष्ठ निरीक्षण केंद्र पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(ख) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(ग) ड्यूटी बंटालियन में सर्विस कंपनी के निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो : परंतु यह और कि ऐसे निरीक्षक/सुबेदार मेजर के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियमित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :

(क) ऐसा उप निरीक्षक/निरीक्षक, जिसने प्रशिक्षण सहित चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, पात्र होगा।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता स्नातक होगी जो सहायक कमांडेंट की सीधी भर्ती के लिए भी अर्हता है।

(ग) सेवा का स्वच्छ रिकार्ड।

(घ) शारीरिक मानदंड वहीं होंगे जो सहायक कमांडेंट (सीधी भर्ती) को लागू हैं।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो सेना में कैप्टन या राज्य में सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप अधीक्षक का पद धारण किए हुए हैं या ऐसे निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा, जो राज्य पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य पदों पर प्रोन्नति के लिए सूची में है या निरीक्षक या समतुल्य पदों को अधिष्ठायी रूप धारण किए हुए हैं।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियमित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियमित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके

(जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

एसे सेवानिवृत्त या निर्मुक्त सेना अधिकारियों के, जो कैप्टेन की रैंक का पद धारण किए हुए हैं या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी या बल के अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं, के पुनर्नियोजन द्वारा।

(13)	(14)
प्रोन्नति के लिए और सीधे भर्ती के पुष्टिकरण का विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय	— सदस्य
केंद्रीय पुलिस संगठन में सहायक कमांडेंट के रूप में सीधी भर्ती /अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए गन्मिलित चयन बोर्ड	
1. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का महानिदेशक	— अध्यक्ष
2. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक	— सदस्य
3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी, जो उपसचिव की पक्ति से नीचे का न हो	— सदस्य
4. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का उप महानिरीक्षक	— सदस्य

[फा. सं. पी. VII. 1/2009-कार्मिक]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2010

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2001, except, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government

hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group – “A” posts in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :--

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group “A” (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Application.** -- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) “Government” means the Government of India;

(b) “Grade” means the grade of the cadre.

(c) “Scheduled Castes”, and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(d) words and expressions used herein ~~but have~~ not defined, shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

4. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay.**-- The number of posts, their classification and pay band and grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the abovesaid Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** -- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. **Seniority.** -- (1) All officers holding a higher rank shall be senior to officers holding a lower rank.

(2) In a particular rank seniority of officers appointed to any post shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to the post.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (2), inter-seniority amongst officers holding the same rank shall be as stipulated in the Central Reserve Police Force Standing Order No. 1/2009 dated the 12th January, 2009.

(i) Seniority of directly appointed gazetted officers through Union Public Service Commission and direct entry gazetted officers (Limited Departmental competitive examination quota) shall be reckoned with reference to their batch of training from the date of appointment, irrespective of the batch in which they were selected and the date of appointment in respect of directly appointed gazetted officers through Union Public Service Commission shall ordinarily mean the date of commencement of training, unless the candidate had reported late but within thirty days of commencement of training.

- (ii) Within a batch of training, whether directly appointed or through limited departmental competitive examination, the inter-se-seniority shall be determined as per clause (ii) of sub rule (b) of rule 8 of the Central Reserve Police Force Rules, 1955, in the order of merit and the merit shall mean the aggregate of marks obtained at the time of selection and the marks obtained at the time of passing out examination at the Central Reserve Police Force Academy :

Provided that the seniority of directly appointed gazetted officers and direct entry gazetted officers shall be reckoned from the date of declaration of results and that of the local promotees from the date of departmental promotion committee by whom they were empanelled.

- (iii) Seniority of re-employed officers in a particular rank shall be determined from the date of their re-employment in that rank.
- (iv) A serving army officer shall maintain his seniority as between himself and other army officers within a particular rank and a serving officer of the Indian Police Service shall maintain his seniority as between himself and other officers of the Indian Police Service within particular rank.

7. **Appointment.--** Officers who have completed their qualifying or eligibility service as prescribed in the Schedule annexed to these rules, shall only be considered for appointment or promotion or deputation to the grade or grades provided they are in Medical Category SHAPE-I as specified under the Standing Order No.04 of 2008 dated 15th December, 2008 issued by the Directorate General, Central Reserve Police Force..

8. **Liability of service.** – Any person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve any where in India or abroad.

9. **Other conditions of service.—** The Central Reserve Police Force Act, 1949(66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955 shall be applicable to the persons appointed under the provision of these recruitment rules in respect of conditions of service not specifically provided for in these recruitment rules.

10. **Disqualification.** --- No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment under these rules :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Ineligibility of aliens .--- No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of a Nepal, Sikkim or Bhutan under these rules.

12. Superannuation. ---The officer holding the posts higher than that of the Deputy Inspector General and above shall retire from service on the afternoon of the day of the month in which they attain the age of sixty years, and other officers shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years.

Provided that an officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or fifty seven years as the case may be.

13. Power to relax.—When the Central Government is of the opinion that it is, necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay / Scale of Pay	Whether selection, post or non-selection post	Whether benefit for added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director General	1* (One) (2010) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial.	Apex Scale : Rs.80000 (Fixed)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods	In case of recruitments by promotion/ deputation/ absorption/ grade: from which Promotion/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation from the Indian Police Service.	Deputation: Indian Police Service Officer empanelled to hold the post of Director General in the Centre in Apex Scale : Rs.80,000 (Fixed).	By Appointment Committee of Cabinet	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Special Director General	3* (Three) (2010) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial	HAG+ Scale: 75500 - (annual increment @ 3%) - 80000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation from the Indian Police Service.	Deputation: Indian Police Service Officer empanelled to hold the post of Special Director General in the Centre in HAG+ Scale (i.e., 75500 - (Annual increment @ 3%) - 80,000/-.	By Appointment Committee of Cabinet	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Additional Director General	4* (Four) (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group – “A” Gazetted, Non-Ministerial	HAG scale : Rs.67,000 – (annual increment @ 3 %) – 79,000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p>i) 66.2/3% by deputation from Indian Police Service.</p> <p>ii) 33.1/3% by promotion from the Central Reserve Police Force Cadre.</p>	<p>By promotion : Officers of the rank of Inspector General (in Pay Band – 4 : 37400 – 67000 Grade pay Rs.10000) in the Central Reserve Police Force with thirty years of Group ‘A’ service out of which at least three years service should be in the rank of Inspector General.</p> <p>Note: (1) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. (2) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered</p>	<p>Group “A” Departmental promotion committee consisting of:-</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Home Affairs – Chairman.</p> <p>(2) Secretary (Personnel), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions – Member.</p> <p>(3) Special Secretary, Ministry of Home Affairs – Member.</p> <p>(4) Director General, Central Reserve Police Force – Member.</p> <p>(5) One Director General from other Central Police Organisation (to be nominated by the Chairman) – Member.</p>	Not applicable

				<p>provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By Deputation:</p> <p>Officers of Indian Police Service empanelled to hold the post of Additional Director General under Central Government in HAG Scale [i.e. 67000 –(annual increment 3%) -- 79000].</p> <p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Inspector General (General Duty)	27* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band - 4 Rs.37400 - 67000 plus Grade Pay Rs.10,000.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p>(i) 50% by promotion from Central Reserve Police Force Cadre.</p> <p>(ii) 50% by deputation from Indian Police Service.</p>	<p>By Promotion:</p> <p>(1) From amongst Deputy Inspector General of Central Reserve Police Force [in Pay Band - 4 :Rs. 37,400 - 67000 with Grade Pay Rs.8900] who have rendered twenty four years of Group - "A" Service including three years as Deputy Inspector General.</p> <p>(2) Should have undergone promotional Course/ training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time.</p> <p>(3) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or</p>	<p>Group "A" Departmental promotion committee consisting of:-</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman.</p> <p>(2) Director General, Central Reserve Police Force - Member.</p> <p>(3) One Director General from other Central Police Organisation (to be nominated by the Chairman) - Member.</p> <p>(4) Special Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable.

				<p>two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>By Deputation:</p> <p>Indian Police Service Officers empanelled to hold the post of Inspector General at the centre, in Pay Band -4 : Rs.37400 – 67000 with Grade Pay Rs.10000.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

32136/10-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy Inspector General (General Duty)	161* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 4 Rs.37400 - 67000 plus Rs.8,900.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p>(i) 80% by promotion of Cadre Officers (Commandant).</p> <p>(ii) 18% by deputation of Indian Police Service Officers.</p> <p>(iii) 2% by deputation of serving Army Officer or Re-employment retired Army Officers.</p>	<p>By Promotion:</p> <p>(a) Commandants of Central Reserve Police Force (in Pay Band - 4 Rs.37400 - 67000 plus Grade Pay Rs.8700/-) with twenty years of Group- "A" Service of which at least three years service should be in the rank of Commandant.</p> <p>(b) Two years Command as a Commandant in a duty Battalion of Central Reserve Police Force.</p> <p>(c) Should have undergone promotional Course/ training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time.</p> <p>(d) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade</p>	<p>Group "A" Departmental promotion committee consisting of:-</p> <p>(1) Secretary / Spl. Secretary (ISP), Ministry of Home Affairs - Chairman.</p> <p>(2) Director General, Central Reserve Police Force - Member.</p> <p>(3) One Director General from other Central Police Organisation (to be nominated by the Chairman) - Member.</p> <p>(4) Joint Secretary(Police), Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>(5) A Nominee of Department of</p>	Not applicable.

				<p>along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>By deputation:</p> <p>Indian Police Service Officer in the Central or State Government Police Force or Organisation holding posts of Deputy Inspector General of Police in Pay Band - 4 : Rs.37400 - 67000 with Grade Pay Rs.8900 or equivalent or approved for appointment as such and serving Army Officers of the rank of Brigadier.</p> <p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the</p>	Personnel and Training - Member.	
--	--	--	--	---	----------------------------------	--

				<p>recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>By re-employment:</p> <p>By re-employment of retired Army Officers of the rank of Brigadier.</p> <p>Note: The departmental officers in feeder cadre who are in the direct line of promotion will not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion (Period of Deputation including the period of deputation in other ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department for Army Officers shall ordinarily not exceed five years). In the case of Indian Police Service Officer the normal period of deputation will be five years in accordance with the tenure rules for Indian Police Service Officers as amended from time to time. In the case of re-employment will be up into the age of superannuation with reference to civil posts under the Central Government.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>By deputation:</p> <p>By deputation of the rank of Colonel from the Army or Indian Police Service (Senior Scale) officers or officer from</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Para Military Force holding equivalent posts or State Police Officer holding posts of Superintendent of Police or equivalent posts, preferably with experience of Armed Police duties.</p> <p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation</p> <p>By re-employment:</p> <p>By re-employment of retired or released Army officer from Defence service in the rank of</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Colonel or Indian Police Service (Senior Scale) officers or Para Military officers or State Police officers holding posts of Superintendent of Police or equivalent posts, preferably with experience of Armed Police duties.</p> <p>Note:</p> <p>Defence service officers due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms; upto the date on which they are due for release/superannuation from the Armed Forces; thereafter they may continue on re-employment. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Second-in-Command (General Duty)	273* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 3 : Rs.15600 - 39100 plus Grade Pay Rs.7600.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion	<p>By Promotion:</p> <p>(a) Deputy Commandant of Central Reserve Police Force in Pay Band 3 : 15600 - 39100 plus Grade Pay Rs.6600 with eleven years of Group - A service of which five years service should be in the rank of Deputy Commandant</p> <p>(b) Two years service as Deputy Commandant in duty Battalion of Central Reserve Police Force.</p> <p>(c) Should have undergone promotional Course/ training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time.</p> <p>(d) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have</p>	<p>Group "A" Departmental promotion committee consisting of:-</p> <p>(1) Director General, Central Reserve Police Force - Chairman.</p> <p>(2) Joint Secretary (Police) - Member.</p> <p>(3) Deputy Inspector General(Personnel), Central Reserve Police Force - Member.</p> <p>(4) Director(Personnel), Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable

				<p>successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Provided further that the qualitative requirement of field service shall be deemed to have been condoned in the cases of Deputy Commandants who are actively engaged in Sports/games by representing the Force at the All India Police Games and who have at least ranked among the first six in their event at the All India Police Games or who serve as coaches/trainers of the teams participating at least at national level, of those posted in training institutions.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission</p>		
--	--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Deputy Commandant (General Duty)	922* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 3 15600 - 39100 plus Grade Pay Rs.6600.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p>By promotion, failing which by deputation failing both by re-employment.</p> <p>Note: The Central Government by issue of specific order may prescribe certain number of posts to be manned by Indian Police Service Officers or Army Officers (serving or retired) of equivalent rank</p>	<p>By Promotion:</p> <p>(a) Assistant Commandant of Central Reserve Police Force with Six years service as Assistant Commandant in Pay Band - 3 : 15,600 - 39100 with Grade Pay Rs.5400.</p> <p>(b) Two years experience as Company Commander of service Company in duty Battalion of Central Reserve Police Force.</p> <p>(c) Should have undergone promotional Course/ training as prescribed by Director General Central Reserve Police Force from time to time.</p> <p>(d). Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Provided further that</p>	<p>Group "A" Departmental promotion committee consisting of:-</p> <p>(1) Director General, Central Reserve Police Force - Chairman .</p> <p>(2) Joint Secretary (Police) - Member.</p> <p>(3) Deputy Inspector General(Personnel), Central Reserve Police Force - Member.</p> <p>(4) Deputy Secretary /Director, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable

		<p>the qualitative requirement of field service shall be deemed to have been condoned in the cases of Assistant Commandants who are actively engaged in Sports/games by representing the Force at the All India Police Games and who have at least ranked among the first six in their event at the All India Police Games or who serve as coaches or trainers of the teams participating at least at national level, of those posted in training institutions.</p> <p>Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade/pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission</p> <p>By Deputation By deputation of the rank of Major in the Army or who are members of the Indian Police Service (Senior Scale) and have rendered five years service as such or officers of the Para - Military Forces holding equivalent or analogous posts or State Police officers holding the post of Superintendent of Police or equivalent posts, preferably with experience or Armed Police duties of the National Cadet Corps holding posts in the scale not lower than Pay Band - 3, Rs. 15600 - 39100</p>				
--	--	---	--	--	--	--

				<p>with Grade Pay Rs.6600/- or of the Home Guard and Civil Defence organization holding post in the Pay Band - 3 : Rs. 15600 – 39100 with Grade Pay Rs.6600/-.</p> <p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation</p> <p>By Re-employment:</p> <p>By re-employment of retired or released Army officers who have held equivalent rank or substantive Majors of the Territorial Army or Indian Police Service (Senior Scale) or with four years of service as such or officers of the Para Military Forces holding the post of Superintendent of Police or equivalent posts preferably with experience of Armed Police duties.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Assistant Commandant (General Duty)	2170* (2010) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group "A" Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band - 3 : 15600 - 39100 with Grade Pay Rs.5400.	Selection	Not applicable	(i) Between 20 and 25 years (relaxable for Government servants, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. (ii) The crucial date for determining the age limit shall be such as may be provided by the Central Government from time to time in the rules of the Assistant Commandant (Central Police Force) Examination.

(8)	(9)	(10)												
<p>(i) Essential:</p> <p>(a) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent.</p> <p>(b) Physical and Medical standard:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Men</th> <th>Women</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Height</td> <td>165 Cms</td> <td>157 Cms</td> </tr> <tr> <td>Chest</td> <td>81 Cms (Unexpanded) (Expanded 86 Cms)</td> <td>Not Applicable</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>50 Kgs</td> <td>According to height but not less than 46 Kgs.</td> </tr> </tbody> </table>		Men	Women	Height	165 Cms	157 Cms	Chest	81 Cms (Unexpanded) (Expanded 86 Cms)	Not Applicable	Weight	50 Kgs	According to height but not less than 46 Kgs.	Not applicable	Two years
	Men	Women												
Height	165 Cms	157 Cms												
Chest	81 Cms (Unexpanded) (Expanded 86 Cms)	Not Applicable												
Weight	50 Kgs	According to height but not less than 46 Kgs.												

(2) Eye sight (with or without glasses):-

Distant Vision		Near Vision	
Better Eye	Worse Eye	Better Eye	Worse Eye
(Corrected Vision)		(Corrected Vision)	
6/6	6/12	J.I	J.II
or			
6/9	6/9		

The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich-Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(ii) **Desirable:**

Possession of NCC (National Cadet Corps) "B" or "C" certificate.

(iii) The plan of examination etc shall be such as may be provided by the Central Government from time to time in the rules of Assistant Commandants (Central Police Force) Examination.

(11)	(12)	(13)	(14)
(i) 50% by direct recruitment conducted by the Union Public Service Commission.	By Promotion: (a) Subedar Majors / Inspectors with three years regular service in the grade and have successfully completed Senior Inspector Cadre Course.	Group "A" Departmental promotion committee for considering promotion and confirmation of direct recruits:-	Not applicable
(ii) 33% by promotion.	(b) Should have undergone promotional course/ training as prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time.	(1) Director General, Central Reserve Police Force -- Chairman. (2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -- Member.	
(iii) 17% by Limited Departmental	(c) Two years service in Service Company of duty		

<p>Competitive Examination. Any shortfall in the Limited Departmental Competitive Examination will be filled by promotion.</p>	<p>Battalion as Inspector.</p> <p>(d) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service: Provided further that the qualitative requirement of field service shall be deemed to have been condoned in the cases of Inspector/Subedar Major who are actively engaged in Central sports/games by representing the Force at the All India Police Games and who have at least ranked among the first six in their event at All India Police Games, or who serve as coaches/trainers of teams participating at least at national level, of those posted in Training institutions.</p> <p>Note:</p> <p>For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission</p> <p>By Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>(a) Sub-Inspector/Inspector having completed four years of service including training will be eligible.</p>	<p>(3) Deputy Inspector General (Pers), Central Reserve Police Force - Member.</p> <p>(4) Deputy Secretary/Director, Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>Combined Selection Board for Direct Recruitment / Short Service Commissions Officers as Assistant Commandant in the Central Police Organisations.</p> <p>(1) Director General of any Central Para Military Force - Chairman.</p> <p>(2) Additional Director General / Inspector General of any Central Para Military Forces - Member.</p> <p>(3) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>(4) Deputy Inspector General of any Central Para Military Forces - Member.</p>	
--	--	--	--

	<p>(b) The Upper age limit for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination will be thirty five years. The required educational qualification will be graduation which is also the eligibility for direct recruitment of Assistant Commandant.</p> <p>(c) Clean Record of Service.</p> <p>(d) Physical standards will be same as applicable to Assistant Commandant(Direct Recruitment).</p> <p>By Deputation:</p> <p>By deputation of officers holding the post of Captain in the Army or Assistant Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police in a State or by deputation or by promotion of Inspectors of the list for promotion to the posts of Deputy Superintendent of Police or equivalent posts in the State Police or substantive holders of the posts of Inspector equivalent post.</p> <p>Note:-</p> <p>For the purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation</p> <p>By re-employment:</p> <p>By re-employment of retired or released Army Officers who have held the rank of Captain or retired</p>		
--	--	--	--

	Police officers or officers of the Force who have held the rank of Deputy Superintendent of Police or other equivalent ranks.		
--	---	--	--

[F. No. P. VII. 1/2009-Pers]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers.)

[श्री १-२००९ ३(१)]

श्री का तारा : अक्षर

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1296-1297

Dated 18-8-2012

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 209.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में है :—

(i) महानिरीक्षक (साधारण ड्यूटी) पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 4 में स्तम्भ (12), मद (2) में शब्दों "महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए" के स्थान पर "महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-महानिरीक्षक (साधारण ड्यूटी), कमाण्डेंट (साधारण ड्यूटी), डिप्टी कमांड अधिकारी (साधारण ड्यूटी), उप-कमाण्डेंट (साधारण ड्यूटी) और सहायक कमाण्डेंट (साधारण ड्यूटी) पदों के सम्बन्ध में स्तम्भ (12), मद (ग) में क्रम संख्यांक 5, 6, 7, 8 और 9 में शब्दों "महानिरीक्षक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए" के स्थान पर "महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है" शब्दों को क्रमशः रखा जाएगा।

[फा. सं. पी. V/1-1/2009-कार्मिक]

वीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 679(अ), तारीख 10 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 924(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2010 द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2012

G.S.R. 209.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments to the Central Reserve Police Force Group "A", Recruitment Rules 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,—

(i) against serial number 4 relating to the post of Inspector General (General Duty), in column (12), in item (2), for the words "Should have undergone promotional course/training as prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time", the words "Should have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time" shall be substituted;

- (ii) against serial numbers 5, 6, 7, 8 and 9 relating to the posts of Deputy Inspector General (General Duty), Commandant (General Duty), Second-in-Command (General Duty), Deputy Commandant (General Duty) and Assistant Commandant (General Duty) in column (12) in item (c), for the words "Should have undergone promotional course/training as prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time", the words "Should have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time" shall respectively be substituted,

[F. No. P. VII-1/2009-Pers.]

NEERAJ KANSAL, Director (Pers.)

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 679(E) dated 10th August, 2010 and corrigendum was issued vide G.S.R. No. 924(E) dated 18th November, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 210.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में स्तम्भ (12) में "प्रहानिरीक्षक (साधारण ड्यूटी)" के पद के सामने पैराग्राफ 1 में उप शीर्ष (क) "प्रोन्नति द्वारा" के अधीन "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" रखा जाएगा।

[फा. सं. पी. VII-1/2009-कार्मिक]

नीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 679(अ), तारीख 10 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2012

G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, against the post of "Inspector General (General)", in column 12, under the sub-heading "By Promotion", in paragraph 1, for the words "three years", the words "two years" shall be substituted.

[F. No. P. VII-1/2009-Pers.]

NEERAJ KANSAL, Director (Pers.)

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 679(E) dated 10th August, 2010.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2013/पौष 24, 1934

No. 21]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2013/PAUSA 24, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,—

(क) कमांडेंट (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ 12 की मद (क) में, "सोलह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) द्वितीय-कमान-अधिकारी (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तंभ 12 की मद (क) में, "ग्यारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उन कमांडेंट (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने, स्तंभ 12 की मद (क) और मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का ऐसा सहायक कमांडेंट जिसने वेतन बैंड-3: 15600-39100 रु., और ग्रेड वेतन 5400 रु. में सहायक कमांडेंट के रूप में पांच वर्ष की सेवा की है, और

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ड्यूटी बटालियन में सेवा कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;"

[फा. सं. पी. VII-1/2009-कार्मिक]

दिनेश माहुर, निदेशक (पर्स)

टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. 679(अ) तारीख 10-8-2010 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 924(अ) तारीख 18-11-2010 द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया था ।

(ii) against serial number
Commandant
and Assistant
promoted

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I—Section 3]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2013

G.S.R. 22(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments to the Central Reserve Police Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Group "A" (General Duty) Officers Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2010, in the Schedule,—

(a) against serial number 6 relating to the post of Commandant (General Duty), in column (12), in item (a), for the words "sixteen years", the words "fifteen years", shall be substituted;

(b) against serial number 7 relating to the post of Second-in-Command (General Duty), in column (12), in item (a), for the words "eleven years", the words "ten years", shall be substituted;

(c) against serial number 8 relating to the post of Deputy Commandant (General Duty), in column (12), for items (a) and (b), the following item shall be substituted, namely:—

(a) "Assistant Commandant of Central Reserve Police Force with five years service as Assistant Commandant in Pay Band-3 : 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5400; and

(b) Two years experience as Company Commander of service company in duty Battalion of Central Reserve Police Force;"

[F.No. P.VII-1/2009-Pers
DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 679(E) dated 10-8-2010 and corrigendum was issued vide No. G.S.R. 924(E) dated 18-11-2010.